

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ०()एमएनजेवाई / चिकित्सा / २३०५

दिनांक : १५.०५.२०१४

समस्त संयुक्त निदेशक (जोन), राजस्थान
समस्त निर्मा कलेक्टर, राजस्थान
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान

विषय:- "मुख्यमंत्री नियुक्त जांच योजना" के द्वितीय एवं तृतीय चरण के सफल क्रियाचयन के क्रम में।

"मुख्यमंत्री नियुक्त जांच योजना" का द्वितीय चरण-दिनांक 01.07.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर 28 जांचे एवं तृतीय चरण दिनांक 15.08.13 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर 15 नियुक्त जांचों का क्रियाचयन चिकित्सा संस्थान पर गठित आरएमआरएस के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु संबंधित अधिकारियों (SDO/BDO/CMHO/BCMHO) की अद्यक्षता में आरएमआरएस की बैठक आयोजित कर योजना के प्रभावी क्रियाचयन से संबंधित सभी आवश्यक तंत्रियों की जानी है। आतः आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठके समयबद्ध ढंग से आयोजित करने के लिये दिशा-निर्देश जारी करें और उक्त बैठकों का पर्यवेक्षण भी करें। जिस प्रकार से प्रथम चरण को आप हारा सफलता से क्रियान्वित किया गया है, उस ही के अनुरूप CHC एवं PHC स्तर पर जांचे करने की तैयारी की जानी है।

योजना को लागू करने हेतु निम्न गतिविधियाँ (SHORT TERM ACTIVITIES) तुरन्त की जानी हैं:-

- लैब एवं एप्स-रे विभाग का सिविल मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य (Repair, Renovation, Establishment of Collection Counter & Report Distribution Centers)
- आरएमआरएस के माध्यम से मानव संसाधन की व्यवस्था (Deployment through RMRS)
- उपकरणों की मरम्मत एवं नई उपकरणों की खरीद (Repair of Existing Equipment & Procurement of New Diagnostic Equipments)
- लैब रिजेन्ट्स आदि का क्रय (Purchase of Reagent & Consumables)
- चिकित्सकों एवं तकनीकी कमर्चारियों का प्रशिक्षण (Orientation and Hands on Training of Doctors and LT, LA, RG etc.) संबंधित जिला चिकित्सालयों अथवा नेडिकल कॉलेजों से संबंध चिकित्सालयों में करवाया जाना है।
- प्रयोगशाला के बाहर बोर्ड पर की जाने वाली जांचों की सूची (Display Boards), दिशा-सूचक, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी का नाम एवं मोबाइल नं० तथा लैब टैक्निशियन, रेडियोग्राफर / सहाय रेडियोग्राफर का नाम एवं मोबाइल नं० अंकित करावे।

उपरोक्त गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु वित्त विभाग से प्राप्त बजट को चिकित्सा संस्थानवार संलग्न सूची के अनुसार हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य विभाग)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ०()एमएनजेवाई / चिकित्सा / 2013/

प्रतिविधि:-

- निजी सचिव, सा० मंत्री, छि० स्वास्थ्य एवं प०क० एवं आयुर्वेद विभाग, राज० जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०, जयपुर।
- निजी सहायक शासन सचिव एवं नियन्त्रण निदेशक, एनआरएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
- निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, राज० जयपुर।
- परियोजना निदेशक / नोडल अधिकारी, एमएनजेवाई, राज० जयपुर।
- समस्त प्रभारी, सीएचसी, राजस्थान।
- रक्षित पत्रावली।

दिनांक :

निदेशक (जन स्वास्थ्य विभाग)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान, जयपुर